आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

18.04.2024 समय : 1850

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कल होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है—कल द्वीपों के चार सौ बारह मतदान केन्द्रों में मतदान होगा। मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने मतदाताओ से मतदान में बढ़—चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
- द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए इस बार के चुनाव में दो महिलाओं सहित कुल बारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
- द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
- कल होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं के लिए परामर्श जारी किया गया है।

<><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कल होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि द्वीपसमूह में मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने कल होने वाले मतदान में मतदाताओं से बढ़—चढ़कर मतदान करने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से अपील में मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार के चुनाव के लिए मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कई स्वीप गतिविधियां आयोजित की गई। इस बार के चुनाव के लिए तैयारियां भी पूरी है और मतदाताओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है।

<><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए कुल बारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इनमें चार राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार है, जबकि तीन पंजीकृत गैर—मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं। इस बार के चुनाव में पांच निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनमें दो महिलाएं भी हैं। द्वीपों की लोकसभा की एकमात्र सीट के लिए जो बारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के श्री बिष्णु पद रे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के डी. अय्यप्पन, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के केजेबी सेल्वाराज, बहुजन समाज पार्टी के डॉ. अरूण कुमार मल्लिक, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के मनोज पॉल, एसयूसीआई मार्क्सवादी के सलामत मंडल के अलावा पांच निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। इनमें के. वेंकटराम बाबू, वी.के अब्दुल अज़ीज, आनन्द रामनाथ अरलेकर, रिंकु माला मंडल और उषा कुमारी शामिल हैं।

<><><><><><>

द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाताओं विशेषकर युवा मतदाताओं से आगे आकर वोट डालने की अपील की है। मतदान कल सुबह सात बजे से शाम छः बजे तक होगा। आज पोर्ट ब्लेयर में मीडिया से बात करते हुए बी एस जगलान ने सभी पात्र मतदाताओं से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हुए चुनावी पर्व को सफल बनाने और अपने मताधिकार का अवश्य ही प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से अंतिम समय में मतदान करने की बजाय अपने—अपने घरों से पहले ही निकलकर मतदान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि द्वीपों में कुल चार सौ बारह मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ संवेदनशील, कुछ दुर्गम और कुछ दूर—दराज के क्षेत्र में स्थित है। ऐसे मतदान केन्द्रों में मतदान कराने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा

कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
श्री जगलान ने कहा कि द्वीपसमूह में डाक मतपत्रों के माध्यम से चार सौ इक्कीस मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें एक सौ तीन वर्ष आयु वर्ग का एक मतदाता भी शामिल है। कैम्पबेल बे का शास्त्री नगर सबसे दक्षिणतम मतदान केन्द्र है। इस बार के चुनाव के लिए आठ सौ पांच कन्ट्रोल यूनिट, आठ सौ पांच बैलेट यूनिट और आठ सौ चवालीस वी वी पैट का इस्तेमाल किया जाएगा। नौ पिंक मतदान बूथ भी स्थापित किए गए हैं। निकोबार जिले के पिलोपातिया में सबसे कम बारह और लॉ फुल बे में कुल चौदह मतदाता है। चुनाव ड्यूटी में लगे छः हजार पांच सौ सत्रह चुनाव कर्मियों को प्रमाणपत्र जारी किया गया है, ताकि वे अपने ड्यूटी स्थल पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सभी नौ तहसीलों मे मतदान सामग्रियां पहुंचाई जा चुकी है। कल द्वीपों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है और कल तथा मतगणना के दिन पूरे द्वीपों में ड्राई डे भी रहेगा। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक भी पूरी चुनावी प्रकिया पर नजर रखेंगे। श्री जगलान ने सभी मतदाताओं विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले और महिला मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालकर प्रजातांत्रिक मूल्य का गौरव बढ़ाने का अनुरोध किया है।

<><><><><><>

उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं के लिए भी परामर्श जारी किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी सख्त निर्देश में कहा गया है कि मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस फोन सेट की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतदान केन्द्र के सौ मीटर की परिधि में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ताकि मतदान प्रकिया की गोपनीयता को बनाए रखा जा सके। द्वीपसमूह के सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्देश का पालन करें। कल सुबह सात बजे से शाम छः बजे के बीच मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने तक के समय तक पंक्ति में खड़े मतदाताओं को वोट डालने दिया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग पंक्ति होगी। वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता दी जाएगी। नेत्रहीन और दुर्बल मतदाता अपने साथ एक प्रौढ़ साथी को मतदान क्षेत्र में अपने मतदान की रिकॉर्डिंग कराने के लिए साथ ले जा सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा किसी भी मतदाता को पैसे या अन्य उपहार देने को कानून के तहत भ्रष्ट श्रेणी में रखा गया है। पहचान के लिए मतदाता फोटो मतदाता पहचान पत्र या आयोग की ओर से प्रमाणित वैकल्पिक बारह दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ रख सकते हैं।

<><><><><><>

द्वीपसमूह में कल होने वाले मतदान के लिए मतदाता जिनके पास फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैक या डाक कार्यालय की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन.पी.आर के तहत आर.जी.आई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, केन्द्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपकम के कर्मचारियों को इन संस्थाओं की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं।

<><><><><><>